बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट
शताब्दी संस्मरण निधि
विनियम, 1973

BOMBAY PORT TRUST
CENTENARY
COMMEMORATION FUND
REGULATIONS, 1973

बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट
शताब्दी संस्मरण निधि
विनियम, 1973.

बॉम्बे पार्ट के न्यासी उन्हें बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट अधिनियम, 1879 की धारा 22 (9) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केंद्र सरकार के अनुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. ये विनियम बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट शताब्दी संस्मरण निधि विनियम, 1973 कहलाएँ जायेंगे.

2. ये सरकारी मंजूरी की तिथि को तथा उस दिन से लागू होंगे.

3. (ए) न्यासी वित्तीय वर्ष, 1973-74 हेतु उनके राजस्व में से 100 लाख रुपयों के अंशदान द्वारा एक निधि का गहन करेंगे जिसे बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट शताब्दी संस्मरण निधि कहा जायेगा.

   (बी) निधि उसमें निहित होगा, तथा न्यासियों द्वारा अखण्ड रखा जायेगा.

4. (ए) निधि की राशि या उसके किसी भी भाग का मुख्य लेखापाल, बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट द्वारा विनियम 5(1) में संदर्भित कार्यपालक समिति के निदेशन पर निम्नलिखित में निवेश किया जायेगा-

   (i) बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट अधिनियम, 1879 की धारा 3 (12) में तथा परिभाषित "सार्वजनिक प्रतिभूतियाँ" ;

   (ii) युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गयी युनिटें;

   (iii) इंडियन ट्रस्ट ॲक्ट की धारा 20 के खण्ड (ए) के परंतुक के तात्पर्य के अंतर्गत न्यासी प्रतिभूतियाँ;

   (iv) भारत के किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम द्वारा, या उन की ओर से, जारी किये गये धन हेतु किसी अन्य प्रतिभूतियों के ऋणपत्र;

   (v) बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट अधिनियम, 1879 की धारा 60ए के तहत फिलहाल बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट को निधि जमा करने को अनुमति दी जायेगी ऐसे किसी भी बैंक या बैंकों में, या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंकों में नियत या सावधि जमा.

(बी) निधि के निवेशों तथा उसके रोकड शेषों के उपर अर्जित ब्याज का विनियम 5 में संदर्भित, कार्यपालक समिति द्वारा उसके तत्काळ उद्देश्यों के लिए आवश्यक न हो ऐसी सीमा तक उसी प्रकार निवेश किया जाए.

(सी) मुख्य लेखापाल उपर्युक्त उपखण्ड (ए) तथा (बी) के अनुसरण में किये गये निवेशों तथा उनके उपर अर्जित ब्याज के अलग से लेखों का रखरखाव करेंगे.

5. (1) (ए) निधि के निवेशों के उपर ब्याज के जरिए प्राप्त धन के उपयोग हेतु कार्यपालक समिति का गठन होगा.

(बी) कार्यपालक समिति में चार सदस्यों का समावेश होगा अर्थात अध्यक्ष, बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट तथा अन्य तीन सदस्यों में से दो बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट मण्डल पर श्रमिकों का प्रतिनिधित्व कर रहे न्यासी होंगे. अध्यक्ष, बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट उक्त समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे. समिति की किसी भी बैठक में उठे सवाल का हल बहुमत से होगा तथा मतों का समान विभाजन होने की स्थिति में अध्यक्ष, बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट को दूसरा या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा. समिति के सदस्य, सदस्य के रूप में तब तक बने रहेंगे जब तक वे बॉम्बे पोर्ट के न्यासी होंगे.

(*2*) मुख्य श्रम अधिकारी, बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट, कार्यपालक समिति के सचिव के रूप में कार्य संभालेंगे तथा समिति के कार्य हेतु सचिवीय सहायता प्रदान करेंगे. समिति के निर्णयों को कार्यान्वित करना, मुख्य श्रम अधिकारी का कर्तव्य होगा.

(ए) निधि के निवेशों तथा रोकड शेषों पर अर्जित ब्याज घटा बैंक प्रभार आदि जैसे आनुषंगिक व्ययों को कार्यपालक समिति द्वारा जब भी और जैसे भी आवश्यक हो वैसे मुख्य लेखापाल, बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट द्वारा समय-समय पर हस्तांतरित किया जायेगा.

(बी) इस प्रकार कार्यपालक समिति द्वारा प्राप्त हुआ धन उसके द्वारा बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट के पूर्व, वर्तमान तथा भविष्य कालीन कर्मचारियों तथा उनके परिवारों के लाभ तथा जरुरतों हेतु योजनाओं का खर्च उठाने के लिए उपयोग में लाया जायेगा जैसे कि :-

(i) मृत्यु, सेवानिवृत्ति, स्थायी, संपूर्ण या आंशिक अक्षमता.

(ii) चिकित्सा देखभाल, प्रतिरोधात्मक तथा रोगहर दोनों, परिवार कल्याण तथा शिशुकल्याण;

(iii) नौकरी करते हुए लगी चोट के कारण उत्पन्न अक्षमता या मृत्यु के मामलों में सहायता अनुदान की मंजूरी;

(iv) शारीरिक दृष्टि से विकलांग या अक्षम के पुन: स्वास्थ्य लाभ हेतु उपाय;

(v) वाचनालयों तथा पुस्तकालयों सहित सामुदायिक तथा सामाजिक/शैक्षिक केंद्र;

(vi) कर्मचारियों, पूर्व कर्मचारियों के बच्चों के लिए छात्रवृत्तियों सहित शैक्षिक सुविधाएँ;

(vii) कर्मचारियों के आश्रितों के लिए व्यवसाय प्रशिक्षण;

(viii) शरीरिक स्वस्थता तथा कार्यक्षमता हेतु कार्यक्रम;

(ix) खेल तथा क्रीडा;

(x) अध्ययन दौरा (एक्सकर्शन्स), दौरे तथा विश्रामगृह, नाटक तथा मनोरंजन के अन्य प्रकार;

(xi) सामाजिक स्वरूप की कार्पोरेट गतिविधियाँ; तथा

(xii) अन्य ऐसी कोई योजनाएँ जो कार्यपालक समिति की राय के अनुसार पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारियों तथा उनके परिवारों की सामाजिक स्थिति में सुधार लायेगी.

टिप्पणी:- (1) उपर्युक्त सूची परिपूर्ण नहीं है, कार्यपालक समिति निम्नलिखित उप-खण्ड (डी) में दिये गये प्रावधानों के अनुसार अन्य किसी भी योजनाओं पर विचार, आविष्कार तथा अंगिकार कर सकती है.

(2) निधि का उद्देश्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए नियोक्ता की जवाबदेही को घटाना नहीं है जो फिलहाल प्रचलित किसी भी कानून के तहत या उनके कर्मचारियों की सेवा शर्तों के अधीन उसको हाथ में लेना है.

(3) उपरोक्त (i), (ii) तथा (iii) में सूचीबध्द योजनाओं के अनुसार कर्मचारियों को उपचित लाभ सिध्द कठिनाईयों के अपवादात्मक मामलों में पुष्टीकृत होंगे.

(सी) कार्यपालक समिति उसके द्वारा आविष्कृत योजनाओं को कार्यान्वित करने तथा उसके उद्देश्य के लिए विशेष रूप से नियुक्त किये जानेवाले स्टाफ के वेतन, भत्तों, आदि, पर उसके द्वारा किये गये खर्च उपर्युक्त उप खण्ड (ए) के अनुसार समिति को सौंपे गये धन से करेगी. प्रशासनिक, लेखे बनाना या लेखा परीक्षण इन उद्देश्यों के लिए नियुक्त किये गये अतिरिक्त स्टाफ पर होने वाला खर्च, यद्यपि, न्यासियों द्वारा वहन किया जायेगा.

(डी) खर्च करने के संबंध में कार्यपालक समिति के निर्णय अंतिम होंगे तथा वह न्यासियों तथा/या केंद्र सरकार की मंजूरी की शर्त पर नहीं होंगे, बशर्ते कि इस प्रकार किये गये खर्च के उद्देश्यों से मौजूदा लागू किसी कानून का उल्लंघन न हो तथा वे योजना के उद्देश्यों से विसंगत न हो.

7. (1) कार्यपालक समिति के सचिव, भारतीय स्टेट बैंक में या उसकी सहायक बैंकों की किसी शाखा में चालू खाता (करंट अकाउंट) खोलेंगे, जिस में मुख्य लेखापाल से समय-समयपर समिति के नाम अंतरित की जानेवाली किन्ही राशियों को जमा किया जायेगा तथा उस में समिति जो खर्च करेगी उसे खर्च में डाला जायेगा.

(2) अध्यक्ष बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट के अनुमोदन से मुख्य लेखपाल द्वारा नामित किसी अन्य अधिकारी के साथ संयुक्त रूप से उपर्युक्त चालू खाते (करंट अकाउंट) को प्रचालित करने के लिए कार्य पालक समिति के सचिव प्राधिकृत होंगे.

(3) अध्यक्ष, बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट को समिति के दैनंदिन खर्च को उठाने के लिए आवश्यक समझी जायेगी ऐसी राशि का अग्रदाय कार्यपालक समिति के सचिव को मंजूर करने का अधिकार है. कार्यपालक समिति के सचिव से अपेक्षित बिल (बिलों) की प्राप्ति होने पर मुख्य लेखापाल अग्रदाय की प्रतिपूर्ति करेंगे.

(4) कार्यपालक समिति के सचिव द्वारा लेखों की उचित बहीयों का रखरखाव किया जायेगा, तथा यदि आवश्यक हो, तब जॉच के लिए उन्हें मुख्य लेखापाल को उपलब्ध करना होगा.

(5) कार्यपालक समिति के सचिव समिति द्वारा प्राप्त की गयी कोई भी आस्तियों जैसे कि फर्निचर, आदि के बारे में संपूर्ण विवरण दर्शाती हुयी एक पंजी का रखरखाव भी करेंगे.

8. कार्य पालक समिति के सचिव हर वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद यथा शीघ्र उस वर्ष के दौरान समिति की गतिविधियों पर एक रिपोर्ट एक साधारण प्राप्तियाँ तथा वितरण लेखों जिसमें वितरण

की विशेषताएं गतिविधि या योजना वार अभिलिखित की गयी हो उसके साथ मिलकर न्यासी मण्डल को प्रस्तुत करेंगे.

9. मुख्य लेखापाल, या उनके द्वारा प्राधिकृत एक अधिकारी, वे जैसा आवश्यक समझे वैसे कार्यपालक समिति के सचिव द्वारा रखरखाव किये गये लेखों की जाँच करवाएंगे तथा विनियम 8 में संदर्भित वार्षिक प्राप्तियाँ तथा वितरणों की यथार्थता को प्रमाणित भी करेंगे.

10. कार्यपालक समिति निम्नलिखित सभी या उन में से किसी भी मामलों पर उसके कारोबार को चलाने हेतु निर्णय लेगी.

(ए) समिति का कारोबार वह किस तरीके से चलायेगी;

(बी) योजनाओं को प्रशासित करने में होनेवाले खर्च को चुकता करने हेतु कार्यपध्दति;

(सी) समिति के सचिव के कर्तव्य तथा शक्तियाँ;

(डी) रखरखाव करना है ऐसी पंजियाँ तथा अभिलेख;

(ई) प्राप्तियाँ तथा व्यय के लेखों का किस तरीके से रखरखाव किया जाए;

(एफ) समिति द्वारा वित्त पोषित गतिविधियों की रिपोर्ट का प्रकाशन; तथा

(जी) समिति के कार्यकलाप से संबंधित अन्य कोई भी मामला.

11. इन विनियमों के अर्थ निर्णय के संबंध में कोई प्रश्न उठने पर कार्यपालक समिति का निर्णय अंतिम होगा.

12. इन विनियमों में कोई संशोधन करना हो तो उसके लिए बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट अधिनियम के खण्ड 5(2) (बी) के अंतर्गत चुने गये न्यासियों की पूर्व सहमति तथा बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट अधिनियम, 1879 की धारा 22 के अंतर्गत सरकार की तथा मण्डल की मंजूरी आवश्यक होगी.